

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भाहपुरा

खाना पिता छीतर नायक निवासी बावडी

बनाम

नन्दा पिता मोहन नायक निवासी बावडी वगैरह

किसा मुकदमा नं. पत्र 111,128 एत.आर.ए

मुकदमा नंबर 30/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल्स अज


नम्बर 2 तारीख  
अहकाम जो हुकम  
की तारीख में  
काली हुई

17/05/2024

प्रार्थना पत्र सिर्गे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिनाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में बावडी, प.ह. बावडी आराजी सं. 1616/176, 785 कुल किता 02 रकबा 1.2889 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्गित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी कस्बाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिनाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जनाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। बावडी, प. ह. बावडी आराजी सं. 1616/176, 785 कुल किता 02 रकबा 1.2889 हैक्टेयर भूमि की समयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीस्तर नियुक्त किया जाता है। कमीस्तर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर जदा करेगा, उनसे 200रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर समयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 17/05/2024 को खुलें न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

